

बिहार सरकार
समाहरणालय-लखीसराय
(स्थापना शाखा)

दूरभाष : 06346-232124 (कार्यालय)
: 06346- 232490 (आ0)
फैक्स : 06346- 232767
ई-मेल : dm-lakhisarai.bih@nic.in

आदेश

बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु संविदा पर कार्यपालक सहायकों के पद पर नियोजन हेतु बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-531, दिनांक-01.06.2015 द्वारा पैनल निर्माण करने के लिए प्रेस विज्ञापित प्रकाशित किया गया। इस जिला के लिए आवेदित अभ्यर्थियों का कम्प्यूटर दक्षता की जाँच दिनांक-22.07.2015 से 29.07.2015 को समाहरणालय स्थित NIC में किया गया, जिसमें उत्तीर्ण 144 अभ्यर्थियों का मेघासूची के आधार पर दिनांक-12.05.2016 को पैनल प्रकाशित किया गया।

उक्त चयनित अभ्यर्थियों में से स्वीकृत पद एवं आरक्षण रॉस्टर के आधार पर कुल 68 (अड़सठ) अभ्यर्थियों का नियोजन किया जा चुका है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी नहीं रहने के कारण स्थापना चयन समिति की बैठक में सर्वसम्मति से 15 (पन्द्रह) अभ्यर्थियों को कार्यपालक सहायक (Executive Assistant) के पद पर संविदा के आधार पर कॉलम-05 में वर्णित कार्यालय में कार्यपालक सहायक के कार्य करने हेतु निम्नांकित शर्तों के साथ किया जाता है :-

क्र०	आवेदन सं०	आवेदक का नाम/ पिता/पति का नाम	पता	जहाँ योगदान करना है (विभाग का नाम)	मेघा क्रमांक	आरक्षण कोटि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	LAK001672	मीनू कुमारी मलहोत्रा, पे०-बालदेव राज मलहोत्रा	सा०-नया बाजार, पटेल नगर, वार्ड नं०-17, लखीसराय।	उप विकास आयुक्त -सह-उपाध्यक्ष जिला जल एवं स्वच्छता समिति, लखीसराय।	142	अनारक्षित क्षै०आ०म०	
2	LAK000343	पुष्पा कुमारी, पे०-अशोक कुमार साव	सा०+पो०-बिलौरी, थाना+जिला-लखीसराय।		122	पिछड़ा वर्ग की महिला	
3	LAK000294	अमित कुमार, पे०-राजेन्द्र प्रसाद मोदी	AT- मंसूरचक, वार्ड नं०-08, (प्रकाश पान दुकान के नजदीक), पुरानी बाजार, लखीसराय।		50	अनारक्षित	
4	LAK000050	पंकज कुमार, पे०-भुनेश्वर शर्मा	पचना रोड, संसार पोखर, गाँधी टोला, वार्ड नं०-17, लखीसराय।		53	अनारक्षित	
5	LAK000013	नितिन कुमार, पे०-प्रमोद कुमार	चक्रपान टोला, पो०+थाना- मोकामा, जिला पटना (803302)।		55	अनारक्षित	
6	LAK002530	कन्हैया ठाकुर, पे०-कारू ठाकुर	AT-कोर्ट एरिया, सदर अस्पताल के नजदीक, लखीसराय।		58	अनारक्षित	
7	LAK001830	विकास कुमार शर्मा, पे०-प्रकाश शर्मा	सा०-मकससपुर, तेल डिपो के नजदीक, थाना-कासिम बाजार, जिला-मुंगेर।		60	अनारक्षित	
8	LAK000164	बबलू कुमार, पे०-प्रेमचन्द्र वर्मा	पचना रोड, किउल बस्ती, पो०+थाना+जिला-लखीसराय।		68	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	
9	LAK000166	पुरुषोत्तम कुमार शर्मा, पे०-महेन्द्र प्रसाद शर्मा	नया बाजार, पचना रोड, वार्ड नं०-20, पो०+थाना+जिला- लखीसराय।	जिला कल्याण कार्यालय, लखीसराय। (बिहार महादलित विकास मिशन)	57	अनारक्षित	
10	LAK000553	विकास कुमार पाण्डेय, पे०-विरेन्द्र पाण्डेय	चितरंजन रोड, पुरानी बाजार, के०एस०एस० कॉलेज के पीछे, बड़ी पोखर के नजदीक, वार्ड नं०-10, लखीसराय।	पुलिस अधीक्षक, लखीसराय। (C.C.T.N.S)	61	अनारक्षित	
11	LAK001840	समीर गुप्ता, पे०-संतोष कुमार गुप्ता	C/o-रंजीत कुमार गुप्ता (SBI), पचना रोड, चौदनी चौक, पो०+थाना+जिला-लखीसराय।		70	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	
12	LAK001299 LAK001336	रमोज रत्नेश, पे०-सरयुग प्रसाद सिंह	सा०-कोनीपार (सोनाजान), पो०-दिघरी, थाना-सूर्यगढ़ा, जिला-लखीसराय।		69	पिछड़ा वर्ग	
13	LAK000145	रंजीत कुमार, पे०-मिश्री चौहान	सा०-आगत, पो०-धीरा, थाना-हलसी, जिला-लखीसराय।		63	अनारक्षित	

4	LAK001210	शिव कुमार, पे0-भाषो सिंह	सा0-खुशहाल टोला, वार्ड नं0-20, थाना-बड़हिया, जिला-लखीसराय।	सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग, लखीसराय।	62	अनारक्षित
15	LAK000106	अमित कुमार, पे0-प्रवीण कुमार	सा0-जयनगर, काली पहाड़ी, बाजार समिति, लखीसराय।	अधीक्षक, मंडल कारा, लखीसराय। (C.C.T.N.S)	67	पिछड़ा वर्ग

नियोजन की शर्तें:-

1. नियोजित कर्मियों का मासिक मानदेय सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक-163, दिनांक-01.09.2015 के आलोक में मो0 11345=00 (ग्यारह हजार तीन सौ पैंतालीस) रुपये प्रतिमाह भुगतान संबंधित कार्यालय द्वारा किया जायेगा। कम्प्यूटर हार्डवेयर के लिए अलग से कोई भी राशि देय नहीं होगी।
2. इंटरनेट कनेक्शन पर होने वाले व्यय का वहन अभ्यर्थी द्वारा किया जायेगा।
3. इस अनुबंध की अवधि योगदान की तिथि से एक वर्ष की होगी। यदि आवश्यकता हुई तो नियोजन की अवधि आवश्यकतानुसार बढ़ायी जा सकेगी।
4. नियोजित कर्मियों के कार्यों की समीक्षा समय-समय पर की जायेगी और संतोषजनक कार्य नहीं होने पर समय से पहले भी उन्हें हटाया जा सकेगा।
5. योगदान के समय निम्नांकित बिन्दुओं पर शपथ पत्र समर्पित करना होगा कि:-
(क) उनके विरुद्ध किसी तरह का कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं है।
(ख) इन्होंने किसी प्रकार का दहेज न लिया है और न ही दिया है।
6. नियुक्त कर्मी से अनुबंध पत्र मो0 100=00 (एक सौ) रुपये के नन जुडिसियल स्टाम्प पर हस्ताक्षरित करने के उपरांत ही योगदान स्वीकार किया जायेगा।
7. सरकारी/दिशा निर्देश के आलोक में योगदान करने वाले कर्मियों के नियोजन शर्तों को संशोधित करने/रद्द करने एवं चयन मुक्त करने का अधिकार जिला पदाधिकारी को सुरक्षित रहेगा।
8. योगदान के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
9. यह नियोजन पूर्णतः अस्थायी है। इस नियोजन पत्र को स्थायी नियुक्ति के मामले में कोई दावा नहीं माना जायेगा।

योगदान के समय निम्नलिखित कागजात दाखिल करना होगा :-

10. चिकित्सा प्रमाण-पत्र (असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के द्वारा निर्गत)।
11. शैक्षणिक योग्यता की मूल प्रति।
12. 02 (दो) अभिप्रमाणित फोटो।

इसके अलावे एक डेस्कटॉप, एक प्रिंटर (ब्लैक एण्ड व्हाइट), एक यू0पी0एस0 एवं इंटरनेट कनेक्शन के साथ होना चाहिए। दिनांक-25.11.2017 तक निश्चित रूप से जिला स्थापना शाखा, लखीसराय में योगदान करेंगे। तदोपरांत सारे कागजातों को जमा कर वे उसी दिन कॉलम-05 में वर्णित कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करेंगे। उन्हें अलग से विरमित नहीं किया जायेगा।

20/-

जिला पदाधिकारी,
लखीसराय।

ज्ञापांक-26-20/15 स्था0, 463 दिनांक-09.11.17

- प्रतिलिपि:- सभी नियोजित कर्मियों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- सभी संबंधित पदाधिकारी, लखीसराय जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- अपर समाहर्ता, लखीसराय/अनुमंडल पदाधिकारी, लखीसराय/स्थापना उपसमाहर्ता, लखीसराय/आई0टी0 मैनेजर, लखीसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, लखीसराय को सूचनार्थ। उन्हें निदेशित किया जाता है कि इस नियोजन पत्र को जिला के वेबसाईट पर प्रकाशित करना सुनिश्चित करेंगे।

20/17

जिला पदाधिकारी,
लखीसराय।